Regarding need to abolish the imposition of penalty on BH series vehicles for non-adherence to tax-payment schedule-Laid

श्री दामोदर अग्रवाल **(भीलवाड़ा) :** वर्तमान में देश में वाहनों की BH सीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था चल रही है जिसमे द्वि-वार्षिक रोड़ टैक्स भुगतान व्यवस्था है जिसके कारण वाहन मालिकों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि BH नंबर सीरीज की गाड़ियों का केवल 2 वर्ष का पंजीकरण करके रोड़ टैक्स लिया जाता है, यदि कोई वाहन मालिक किसी कारण, समय पर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न करा पाए तो उसको प्रतिदिन 100 रूपए की दर से जुर्माना भरना पड़ता है, जोकि दुपहिया वाहन मालिकों के लिए बहुत ही ज्यादा है । इस व्यवस्था के कारण व्यक्तिगत एवं सरकारी संसाधनों का भी अधिक उपभोग होता है । अतः सरकार से मेरी मांग है कि वो वाहनों की BH सीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन हेतु द्वि-वार्षिक रोड़ टैक्स भुगतान व्यवस्था समाप्त करने तथा नवीनीकरण में देरी होने के कारण प्रतिदिन 100 रूपए की दर से लगने वाला जुर्माना हटाने के दिशा-निर्देश देने की कृपा करें ।